न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिया ।
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर,आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या – 2020/2019
प्रार्थीगण :–

1 उम्मेदसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह
2 रघुनाथसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह
3 आईदानसिंह पुत्र श्री गायडसिंह
4 गोविन्दसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह
जाति राजपूत निवासी बांरा कंला

तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

–: ब ना म :–

अप्रार्थीगण :–

1 शिक्षा विभाग , रा.उ.मा.वि. बांरा खुर्द
जरीये पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

ग्राम पंचायत बारा खुर्द

2 प्रशासक , ग्राम पंचायत बारा खुर्द
3 श्री तहसीलदार साहब, औसिया ।

उपस्थित –
प्रार्थी की ओर से श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट ।
अप्रार्थी की ओर से सरकारी पेरोकार ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट.
निर्णय दिंनाक :–

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि यह है कि ग्राम बारा कंला के खसरा नम्बर 2 रकबा 8 बीघा 2 बीस्वा गोचर भूमि गांव के पास मे आई हुई है जिसके दक्षिणी भाग मे एक कदीमी महासती जी का थान आया हुआ है जो एक धार्मिक स्थल है तथा गांव के आम लोगो के आस्था का सार्वजनिक स्थल है । सन् 2015 मे उक्त गोचर भूमि मे से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से खेल मैदान हेतु 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था तब से उक्त खसरे का उतरी भाग खेल के मेदान मे काम आता है हाल ही मे सेग्रीगेशन के तहत उक्त खेल मेदान की भूमि की हल्का पटवारी द्वारा तरमीम की गई है जो मोके के कब्जे व उपयोग उपभोग के विपरीत तरमीम कर दी है जिसमे महासतीजी का थाना स्कुल मेदान के अन्दर ले लिया है तथा गोचर भूमि के स्कुल मेदान के तीन तरफ लेकर कर दिये है जिससे ग्रामवासीयो को भारी असुविधा व परेशानी हो जायेगी । महासती के थान पर हर साल मेला लगता है तथा जागरण होता है तथा शादी विवाह मे जाते भी लगती है जिस कारण से स्कुल के बच्चो को व ग्रामवासीयो के लिए भविष्य मे

Scanned with CamScanner

भारी समस्या पैदा हो जायेगी । प्रार्थीगण ने श्री मान तहसीलदार साहब को उक्त गलत तरमीम को शुद्ध व दुरूस्त करने के लिए रिपोर्ट दी जिस पर तहसीलदार साहब ने हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट तलब की गई जिस पर हल्का पटवारी द्वारा मौका फर्द ग्रामवासीयो व अप्रार्थीगण के रूबरू तैयार की गई है कि तहसीलदार जी ने बाद जांच प्रार्थीगण को कहा कि यह दुरूस्ती मेरे अधिकार क्षैत्र मे नही है श्री मान एस.डी.एम. साहब से करावे जिस पर प्रार्थीगण श्री मान जी के समक्ष यह प्रार्थना पत्र मय नकलो के पेश की है । अन्त मे प्रार्थीगण ने जनहित मे व न्यायहित मे उक्त गलत तरमीम को हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार शुद्ध व दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया ।

प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिश जारी किया गया । अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा स्वय् उपस्थित होकर उक्त प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के पक्ष मे सहमती व्यक्त की है । अप्रार्थी संख्या 3 ने कोई जबाब प्रस्तुत नही किया और न ही उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव तहसीलदार औसिया के आदेशानुसार हल्का पटवारी बारा खुर्द द्वारा मौका फर्द की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । दोनो पक्षो को सुना गया दस्तावेज एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । संग्रीगेशन के तहत तरमीम गलत होना पाया गया है तथा दोनो पक्ष दुरूस्त कराने मे सहमत है उपरोक्त विवेचन व दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाता हू ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम खसरा नम्बर 2 रकबा 8 बीघा 2 बीस्वा मे से अप्रार्थीगण संख्या 1 के नाम से खेल मेदान हेतु 5 बीघा भूमि आवंन्टन की गई जिसकी तरमीम राजस्व रेकर्ड मे मौके व कब्जे व उपयोग ,उपभोग के विपरित तरमीम है जिसे जिन्हे निरस्त की जाकर मौका व कब्जे तथा उपयोग ,उपभोग के अनुसार राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर बाद आवश्यकता दाखिल दफ्तर हो ।

उपखण्ड अधिकारी, औसिया

निर्णय आज दिनाक को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी औसिया

Scanned with CamScanner